

24/3/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट
अनुपस्थित। अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता
को न्यायालय की ओर से बार-बार
आवाजें लगाने के बावजूद उनकी ओर
से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः पत्रावली
अदम डाजरी एवं अदम पैरवी में बकारिज
की जाती है। पत्रावली फ़ैलल शुमार होउर
बाद आवश्यक कार्यवाही दारिखल दफ्तर है।

